सत्यमेव जयते

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

10 FALGUN 1945 (S)

No. 115

RANCHI, THURSDAY 29th FEBRUARY, 2024

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

29th February, 2024

Notification No.- 45/2023 – State Tax

S.O. No. 50, Dated 29th February, 2024--In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall be deemed to be effective from the 6th September, 2023.

2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, after rule 31A, the following rules shall be inserted, namely:-

"31B. Value of supply in case of online gaming including online money gaming.– Notwithstanding anything contained in this chapter, the value of supply of online gaming, including supply of actionable claims involved in online money gaming, shall be the total amount paid or payable to or deposited with the supplier by way of money or money's worth, including virtual digital assets, by or on behalf of the player:

Provided that any amount returned or refunded by the supplier to the player for any reasons whatsoever, including player not using the amount paid or deposited with the supplier for participating in any event, shall not be deductible from the value of supply of online money gaming.

31C. Value of supply of actionable claims in case of casino.– Notwithstanding anything contained in this chapter, the value of supply of actionable claims in casino shall be the total amount paid or payable by or on behalf of the player for –
(i) purchase of the tokens, chips, coins or tickets, by whatever name called, for use in casino; or
(ii) participating in any event, including game, scheme, competition or any other activity or process, in the casino, in cases where the token, chips, coins or tickets, by whatever name called, are not required:

Provided that any amount returned or refunded by the casino to the player on return of token, coins, chips, or tickets, as the case may be, or otherwise, shall not be deductible from the value of the supply of actionable claims in casino.

Explanation.- For the purpose of rule 31B and rule 31C, any amount received by the player by winning any event, including game, scheme, competition or any other activity or process, which is used for playing by the said player in a further event without withdrawing, shall not be considered as the amount paid to or deposited with the supplier by or on behalf of the said player.”

[File. No. VaKar/GST/01/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Vipra Bhal
Secretary,
Commercial taxes Department.

Note: The principal rules were published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 28-State Tax, dated the 20th June, 2017, published and were last amended, *vide* notification No. 38/2023 - State Tax, dated the 12th December, 2023, *vide* S.O. No. 49, dated the 12th December, 2023.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०.45/2023- राज्य कर

एस. ओ. सं. 50, दिनांक 29 फरवरी, 2024--झारखण्ड सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियमावली, 2023 है।

(2) यह नियमावली तारीख 6 सितम्बर, 2023 से लागू मानी जाएगी।

2. झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में, नियम 31क के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किये जायेंगे, अर्थात: -

"31ख. ऑनलाइन मनी गेमिंग सहित ऑनलाइन गेमिंग के मामले में आपूर्ति का मूल्य:-
इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, ऑनलाइन गेमिंग की आपूर्ति का मूल्य, ऑनलाइन मनी गेमिंग में सम्मिलित कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति सहित, आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई या देय या जमा की गई कुल राशि होगी, जिसमें डिजिटल संपत्ति, खिलाड़ी द्वारा या उसकी ओर से वर्चुअल भी सम्मिलित है:

परन्तु किसी भी कारण से आपूर्तिकर्ता द्वारा खिलाड़ी को लौटाई गई या वापस की गई कोई भी राशि, जिसमें खिलाड़ी किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपूर्तिकर्ता के साथ भुगतान की गई या जमा की गई राशि का उपयोग नहीं कर रहा है, ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति के मूल्य से कटौती योग्य नहीं होगी।

31 ग. कैसीनो के मामले में कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति का मूल्य। - इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, कैसीनो में कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति का मूल्य खिलाड़ी द्वारा या उसकी ओर से भुगतान की गई या देय कुल राशि होगी -

(i) कैसीनो में उपयोग के लिए टोकन, चिप्स, सिक्के या टिकट, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, की खरीद; या

(ii) कैसीनो में खेल, स्कीम, प्रतियोगिता या किसी अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया सहित किसी भी कार्यक्रम में भाग लेना, ऐसे मामलों में जहां टोकन, चिप्स, सिक्के या टिकट, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, की अपेक्षा नहीं है:

परन्तु कैसीनो द्वारा यथास्थिति खिलाड़ी को टोकन, सिक्के, चिप्स, या टिकट लौटाने पर, या अन्यथा लौटाई गई कोई भी राशि, कैसीनो में कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति के मूल्य से कटौती योग्य नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण.- नियम 31 ख और नियम 31 ग के प्रयोजन के लिए, खेल, स्कीम, प्रतियोगिता या किसी अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया सहित किसी भी प्रतियोगिता को जीतकर खिलाड़ी द्वारा प्राप्त कोई भी राशि, जिसका उपयोग उक्त खिलाड़ी द्वारा आगे की घटना में खेलने के लिए किया जाता है बिना निकासी के, उक्त खिलाड़ी द्वारा या उसकी ओर से आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई या उसके पास जमा की गई राशि नहीं मानी जाएगी ।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी०/01/2020]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विप्रा भाल,
सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग ।

टिप्पण: मूल नियमावली झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में एस. ओ. सं. 28- राज्य कर, तारीख 20 जून, 2017, द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 38/2023- राज्य कर, तारीख 12 दिसम्बर, 2023, एस. ओ. सं. 49, तारीख 12 दिसम्बर, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 115 -- 50.